

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

का0आ0सं0-उ0प्र0-80/2015

पटना, दिनांक :- 21/11/19

**कार्यालय आदेश - 10**

श्री मसीहउद्दीन, अध्यक्ष, ककोलत विकास परिषद द्वारा समर्पित परिवाद पत्र दिनांक-27.06.15 के आलोक में पथ प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत मझवे गोविन्दपुर पथ (राज्य उच्च पथ संख्या-103) के सुदृढीकरण कार्य में अनियमितता बरते जाने के आरोप की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से करायी गयी। निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-75 अनु0 दिनांक-16.02.16 द्वारा उक्त जाँच का प्रतिवेदन (दिनांक-09.02.16) समर्पित किया गया।

2. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में सड़क निर्माण कार्य में निम्नवत् त्रुटि पायी गयी :-

- (i) पथ के 5वें कि0मी0 में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त एग्रिगेट का EI+FI का औसत कुलमान 40 प्रतिशत से अधिक 46.69 प्रतिशत पाया गया है, जो अनुमान्य सीमा से अधिक है।

3. उक्त पायी गयी त्रुटि के आलोक में विभागीय पत्रांक-8082 (ई) अनु0 दिनांक-15.12.16 द्वारा श्री राम विनय कुमार, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, नवादा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक-06.01.17 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख है :-

**\*MORTH के Specification for Road & Bridge work (4th Revision)**

के Table 900-3 के क्रमांक-4 (1)(II) के अनुसार कार्य में प्रयोग किये जाने के पूर्व ही Stone Aggregate का AIV एवं Grading test करने का प्रावधान है, जबकि उड़नदस्ता द्वारा WMM कार्य के संपादित पथ परत से नमूनों को एकत्रित कर जाँच किया गया था। WMM पथ परत निर्माण में Stone Aggregate की बिछायी एवं पथ बेलन से चपाई के क्रम में कुछ टूट स्वाभाविक है। पथ परत की कटाई में भी Stone Aggregate का टूटना निश्चित है। साथ ही, प्रमंडलीय गुण नियंत्रण इकाई द्वारा Stone Aggregate के कार्य में प्रयोग के पूर्व इसकी गुणवता की जाँच की गयी थी, जिसमें EI+FI का मान प्रावधान 24.70 प्रतिशत पाया गया।

4. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान के माध्यम से उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति एवं विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पथ के कि0मी0 05 में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI का औसत कुल मान टॉलरेन्स लिमिट 40 प्रतिशत से अधिक 46.69 प्रतिशत पाया जाना कराये गये कार्य में गुणवता की कमी का द्योतक प्रतीत होता है, जिसके फलस्वरूप इस हद तक श्री कुमार को दोषी माना जा सकता है।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए श्री राम विनय कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा के स्पष्टीकरण पत्रांक-शून्य दिनांक-06.01.17 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

- (i) "चेतावनी" की सजा जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्त में की जायेगी।

हव

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा/उप सचिव, निगरानी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा-3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/3/6/13/14/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राम विनय कुमार, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, नवादा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

२०१

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

189 (E) ✓

पटना, दिनांक :- 31/11/19

प्रतिलिपि :-

आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित। ✓

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

०३/११/१९